

बनाम

1. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, अलवर।

-प्रत्यर्थागण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक :- 11.06.2018  
आदेश की दिनांक :- 05.07.2018

उपस्थित :-

अपीलार्थी की ओर से :- श्री अशोक कुमार बंसल, अधिवक्ता

समक्ष :- वन्ना लाल, सदस्य  
जरसा राम चौधरी, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता श्री अशोक कुमार बंसल उपस्थित।
2. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा-4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी का अभिकथन है कि वह अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद पर वर्ष 2006 से कार्यरत थी और व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) हिन्दी के पद पर चयनोपरान्त आदेश दिनांक 18.06.2017 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबरी, तहसील रामगढ़, जिला अलवर में दिनांक 04.08.2017 से निरन्तर कार्यरत हैं। अपीलार्थी 2 वर्ष के परिवीक्षाकाल में है और वह परिवीक्षाकाल का वेतन प्राप्त नहीं करके अध्यापक तृतीय श्रेणी के पद का वेतन प्राप्त कर रही है।



प्रमाणित प्रतिलिपि  
सहायक निदेशक  
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण  
राजस्थान-जयपुर

8

9

4. यह कि राज्य सरकार की स्थानान्तरण नीति है कि जिसमें पति/पत्नी यदि दोनों राज्य सेवा में हैं तो यथासंभव उन्हें एक ही स्थान पर अथवा आस-पास पदस्थापित किया जावे। माता-पिता की बीमारी (अनुलग्नक-2) और अपीलार्थी के पति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जगन बाड़ा, ब्लॉक बहरोड, जिला अलवर में पदस्थापन को ध्यान में रखते हुए उसने बहरोड तहसील में स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया। उक्त परिस्थितियों को गद्देनजर रखते हुए आदेश दिनांक 27.05.2018 (अनुलग्नक-3) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन डाबरी-रामगढ़, जिला अलवर से दुडारिया-बहरोड, जिला अलवर किया गया लेकिन आदेश दिनांक 27.05.2018 (अनुलग्नक-3) के क्रम में अपीलार्थी को डाबरी-रामगढ़ से इस आधार पर कि 'अपीलार्थी परिवीक्षाधीन है' कार्यमुक्त नहीं किया गया और आदेश दिनांक 03.06.2018 (अनुलग्नक-4) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण निरस्त कर दिया गया। राजस्थान सेवा नियमों में परिवीक्षाधीन कर्मचारी का स्थानान्तरण पर रोक नहीं है। अतः आदेश दिनांक 03.06.2018 (अनुलग्नक-4) अवैध और राजस्थान सेवा नियमों के विपरीत जाकर जारी किया गया है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 03.06.2018 (अनुलग्नक-4) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थागण को आदेश दिए जावे कि आदेश दिनांक 27.05.2018 (अनुलग्नक-3) की पालना में अपीलार्थी को स्थानान्तरित स्थान पर कार्यग्रहण करवाया जावे।



प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक उपनिर्देशक

राजस्थान सिविल सेवा अधीन

राजस्थान-जयपुर

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने हमारा ध्यान पति-पत्नी को एक स्थान अथवा आस-पास पदस्थापित रखने के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.वी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12265/2009 डॉ. देवेश गुप्ता बनाम राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12.10.2009 एवं इस अधिकरण द्वारा अपील संख्या 807/2018 दिनांक 13.06.2018 कांता कुलदीप बनाम निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

विभाग, राजस्थान, बीकानेर एवं अन्य में गारित आदेशों की ओर आकृष्ट किया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्वोक्त अंतरिम आदेश दिनांक 12.10.2009 का निर्णायक भाग निम्नानुसार है:-

“Counsel submits that petitioner is only interested that both the spouse may remain posted at one place and otherwise also, there was no exigency to transfer him from Rani; in these circumstances, a tion of respondents in passing order dt. 10.09.09 cannot be said to be in the interest of administration.

Issue notice alongwith a copy of this order to respondents rule returnable within four weeks. Notices be given Dasti, if desire, in the meanwhile, operation of order dt. 10/09/2009 (Ann.6) pertaining to transfer of petitioner shall remain stayed; and petitioner be allowed to continue at the place of posting prior to order dt. 10/09/09 (Ann.6) till further orders. However, respondents will be free to pass fresh orders of transfer in the interest of administration but posting the spouse at one station. List after service.



अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्वीकृत रूप से प्रकट है कि अपीलार्थी राजस्थान शिक्षा सेवा व्याख्याता (सहूल शिक्षा) के पद पर दिनांक 04.07.2017 से परिवीक्षाधीन (probationer) है। राजस्थान सेवा नियमों के नियम 7(30) में परिवीक्षाधीन को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:-

5.  
प्रमाणित प्रतिलिपि  
राहायक अधिकारी  
राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकारी  
6.

“परिवीक्षाधीन : परिवीक्षाधीन से तात्पर्य उस कर्मचारी से है जो किसी सेवा अथवा संवर्ग (केडर) में स्थायी रूप से एक रिक्त पद पर नियमित रूप से नियुक्त किया गया है।”

परिवीक्षाधीन की उपर्युक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी सभी प्रयोजनार्थ राजस्थान शिक्षा सेवा व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) की सदस्य है। परिवीक्षाधीन अवधि में एक प्रोवेशनर अन्य कार्मिकों की भांति कार्य सम्पादित करता है और उसका स्थानान्तरण भी सेवा के अन्य सदस्यों की भांति किया जा सकता है। प्रोवेशनर की कोई पृथक सेवा नहीं होती है, ऐसी स्थिति में प्रोवेशनर से अलग प्रकार का व्यवहार करना या भेद करना युक्तियुक्त एवं नियमानुकूल नहीं है। इस प्रकार अपीलार्थी के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलोच्य आदेश दिनांक 03.06.2018 (अनुलग्नक-4) भेदकारी एवं नियम विरुद्ध होने के कारण विधितः संवहनीय नहीं है।

7. उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 03.06.2018 (अनुलग्नक-4) को अपीलार्थी की सीमा तक एतद्वारा अपास्त किया जाता है।



(जस्सा राम चौधरी)  
सदस्य

www.rajteachers.com

(बन्ना लाल)  
सदस्य

राजस्थान शिक्षा सेवा आयोग  
राजस्थान शिक्षा सेवा आयोग  
राजस्थान शिक्षा सेवा आयोग

**हस्ताक्षर निलानकर्ता**

पार्थना पत्र क्रमांक 2469  
दिनांक पार्थना पत्र 11.7.18  
रजि. क्रमांक 71970/68  
दिनांक 11.7.18